



**भारतीय
प्रौद्योगिकी
संस्थान**
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय



**INDIAN
INSTITUTE OF
TECHNOLOGY**
BANARAS HINDU UNIVERSITY

Serving the nation since 1919

अवकाश यात्रा छूट एवं अग्रिम के लिए निवेदन

1. कर्मचारी का नाम	2. कर्मचारी संख्या एवं पदनाम
3. विभाग/स्कूल/इकाई	4. वेतन/वेतन बैंड में वेतन/ग्रेड वेतन
5. संस्थान में नियुक्ति की तिथि	6. स्थायी या परिवीक्षाधीन
7. सेवा पुस्तिका में दर्ज गृह नगर का पता और सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट	8. यात्रा छूट का प्रकार (गृह <u>नगर/संपूर्ण</u> भारत)
9. खण्ड (ब्लॉक) वर्ष	10. अवकाश यात्रा छूट का प्रकार (गृह <u>नगर/संपूर्ण</u> भारत)
11. यात्रा पर जाने की योजना की तारीख: यात्रा से वापसी की योजना की तारीख:	12. यात्रा का प्रकार (सड़क/रेल/वायुमार्ग)
13. यात्रा पर जाने का किराया (लगभग) : वापसी का किराया (लगभग) : कुल -	14. अवकाश यात्रा छूट अग्रिम चाहिए या नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो वांछित धनराशि उल्लिखित करें :

15. परिवार के सदस्यों का ब्यौरा जिनके संबंध में अवकाश यात्रा छूट (एलटीसी) का अनुरोध किया गया है :

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम/परिवार के सदस्यों का नाम	जन्मतिथि/उम्र	कर्मचारी से संबंध
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

प्रमाणित किया जाता है कि :

- मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार उपर्युक्त सूचनाएं सत्य हैं।
- मैं अवकाश यात्रा छूट से संबंधित भारत सरकार के प्रभावी नियम व विनियम पूरी तरह समझता हूं और ये पूर्णतया मुझे स्वीकार है।
- ब्लॉक वर्ष..... से में स्वयं या मेरे परिवार के किसी सदस्य के लिए मैंने अवकाश यात्रा छूट के लिए कोई दावा नहीं किया है।
- मेरे पति/पत्नी किसी सरकारी सेवा/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या निगम (कारपोरेशन)/सरकारी स्वायत्तशासी संस्था में कार्यरत नहीं है।

5. मेरे पति/पत्नी किसी सरकारी सेवा/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या निगम (कारपोरेशन)/सरकारी स्वायत्तशासी संस्था (संस्था का नाम) में कार्यरत हैं, और संबंधित ब्लॉक वर्ष से में उक्त संस्थान से अपने या किसी अन्य परिवार के सदस्य के लिए अलग से अवकाश यात्रा छूट प्राप्त नहीं किया है। वह उपर्युक्त ब्लाक वर्ष के लिए कोई दावा अपने नियोक्ता से नहीं करेंगे।

कृ.प.उ.

6. मैं जाने के यात्रा का टिकट अग्रिम धनराशि प्राप्ति के दस दिनों के भीतर प्रस्तुत कर दूंगा।
7. मैं वास्तविक टिकट/बोर्डिंग पास अवकाश यात्रा छूट के समायोजन का दावा अग्रिम प्राप्ति की स्थिति में यात्रा पूर्ण की तिथि से एक महीने के अंदर और अग्रिम अप्राप्ति की स्थिति में तीन महीने के भीतर प्रस्तुत कर दूंगा।
8. यात्रा निरस्त की स्थिति में या अग्रिम प्राप्ति के दस दिन के भीतर टिकट न प्रस्तुत कर पाने की स्थिति में पूर्ण अग्रिम एकमुश्त वापस कर दूंगा।
9. मेरे माता-पिता/भाई/बहन जिनके लिए इस आवेदन में अवकाश यात्रा छूट के लिए निवेदन किया गया है वे वास्तव में मुझपर आश्रित हैं।
10. मैंने अलग से अवकाश हेतु से तक आवेदन किया है/मुझे से तक अवकाश स्वीकृत हुआ है। (स्वीकृत अवकाश पत्र संलग्न करें)
(जो लागू न हो उसे काट दें)

अग्रसारित

कर्मचारी का हस्ताक्षर

मोबाइल नं-

वि०/स०/इकाई प्रभारी/कार्यालयाध्यक्ष

अवकाश यात्रा छूट अनुभाग के उपयोग के लिए

1. कर्मचारी द्वारा उपलब्ध कराया गया उपर्युक्त ब्यौरा सत्यापित किया गया।
2. अवकाश यात्रा छूट (एलटीसी) (गृह नगर/संपूर्ण भारत)..... ब्लॉक वर्ष के लिएतक की अवधि के दौरान से स्वीकृत/अस्वीकृत। अगर अस्वीकृत होता है तो उसका कारण है।
3. अवकाश यात्रा छूट (एलटीसी) के लिए स्वीकृत धनराशि है।

सहायक

अनुभाग अधिकारी

सहायक कुलसचिव

उप कुलसचिव

कुलसचिव

(वित्त कार्यालय के उपयोग हेतु)

मुख्य बजट हेड	
गौण बजट हेड	
बजट की धनराशि	
प्रयुक्त हुई धनराशि	
बिल के साथ उपलब्ध बाकी रकम	

पारित धनराशि रु.....

(शब्दों में)

सहायक

अनुभाग अधिकारी

सहायक कुलसचिव

उप कुलसचिव

कुलसचिव

नगद भुगतान/चेक संख्या.....दिनांक.....रुपये.....

सहायक/कैशियर

अनुभाग अधिकारी

सहायक कुलसचिव

उप कुलसचिव

कुलसचिव
